कुरूद में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर बेदखली अभियान चलाया–निगम की टीम ने

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 02 वैशालीनगर अंतर्गत ग्राम कुरूद शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत प्राप्त हुई थी। निगम आयुक्त द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पर रोक लगाने के निर्देश दिये थे, कि भिलाई शहर में कहीं भी अवैघ कब्जा न हो। निर्देश के बाद जोन 2 के राजस्व अमले ने कुरूद में शासकीय भूमि पर हुए अवैध कब्जे को बेदखल किया। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बुधवार को समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे। कि निगम क्षेत्र में होने वाले अवैध कब्जे की मानिटरिंग कर रिक्त करवाएं। जिसके परिपालन में जोन आयुक्त येशा लहरे के निर्देश पर जोन 2 का राजस्व अमला ने बेदखल किया। जोन के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे ने बताया कि कुरूद वार्ड 21 में मानसरोवर मंदिर के सामने मैदान में रहवासियो द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर शासकीय भूमि में तार धेरा कर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे जे.सी.बी. के माध्यम से हटाया गया और भूमि को समतल किया गया। बेदखली कार्यवाही के दौरान पुषण देशमुख, अरूण सिह, हरि ताम्रकार, गुप्ता नंद तिवारी, कृष्ण कुमार सुपैत, मदन मोहन तिवारी, प्रतिक तिवारी, जागेश्वर पटेल, तोडफोड दस्ता के प्रभारी अंजनी सिंह, कन्हैया यादव, मंगल कुरे, आदि उपस्थित थे।